

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 17 अक्तूबर, 2020 / 25 आश्विन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 4 / 2020-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 16 अक्तूबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—3/2020.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 12/2017—राज्य

कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.—एफ. (10)—15/2017 दिनांक 30 जून 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 19 क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक ''2020'' के स्थान पर अंक ''2021'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 19 ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से लागू होगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / – (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—मूल अधिसूचना संख्या 12/2017—राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—15/2017 तारीख 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं0ः 28/2017—राज्य कर (दर) तारीख 6 जनवरी, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—25/2020 के तहत तारीख 7 जनवरी, 2019 को प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-3/2020 dated 16-10-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 4/2020-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 16th October, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section (15) and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN- F(10)-15/2017, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (i) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be substituted.
- (ii) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be substituted.
- 2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 1st day of October, 2020.

By order,

Sd/-(JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number EXN-F(10)-15/2017, dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 28/2019-State Tax (Rate), dated the 6th January, 2019 *vide* number EXN-F(10)-25/2019-loose dated the 7th January, 2019.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 69 / 2020-राज्य कर

शिमला-2, 16 अक्तूबर, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—3/2020.——आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 44 की उप धारा (1) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 41/2017—राज्य कर दिनांक 14 जुलाई, 2020 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020 दिनांक 16 जुलाई, 2020, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना में, ''30 सितम्बर 2020'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''31 अक्तूबर, 2020'' अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / — (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—मूल अधिसूचना संख्या 41/2020—राज्य कर दिनांक 14 जुलाई, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020 तारीख 16 जुलाई, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था।

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 69/2020-State Tax

Shimla-2, the 16th October, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with rule 80 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, is hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 41/2020-State Tax, dated the 14th July, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-4/2020, dated the 16th July, 2020, namely:—

In the said notification, for figures, letters and words "30th September, 2020", the figures, letters and words "31st October, 2020" shall be substituted.

By order,

Sd/-(JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 41/2020-State Tax, dated the 14th July, 2020, was published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* notification number EXN-F(10)-4/2020, dated the 16th July, 2020.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 70 / 2020-राज्य कर

शिमला-2, 16 अक्तूबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—3/2020.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 13/2017—राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020 दिनांक 24 जून, 2020, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,-

- (i) ''किसी वित्तीय वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''2017—18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष'' शब्द रखे जांएगे;
- (ii) ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की'' शब्दों के पश्चात् ''या निर्यात के लिए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / — (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.—मूल अधिसूचना संख्या 13/2020—राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020 तारीख 24 जून, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था जिसे अधिसूचना संख्या 61/2020—राज्य कर दिनांक 6 अक्तूबर, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—15/2020 तारीख 8 अक्तूबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया।

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 70/2020-State Tax

Shimla-2, the 16th October, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 13/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,—

- (i) for the words "a financial year", the words and figures "any preceding financial year from 2017-18 onwards" shall be substituted;
- (ii) after the words "goods and services or both to a registered person", the words "or for exports" shall be inserted.

By order,

Sd/-(JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 13/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, was published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* notification number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020 and was subsequently amended *vide* notification No. 61/2020- State Tax, dated the 6th October, 2020, published *vide* number EXN-F(10)-15/2020 dated the 8th October, 2020.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 71 / 2020-राज्य कर

शिमला-2, 16 अक्तूबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—3/2020.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 14/2017—राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या

ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4 / 2020 दिनांक 24 जून, 2020, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) पहले अनुच्छेद में, ''एक वित्तीय वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''2017–18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जांएगे;
- (ii) दूसरे अनुच्छेद में, "1 अक्तूबर, 2020" अंको और शब्दों के स्थान पर "1 दिसम्बर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / — (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—मूल अधिसूचना संख्या 14/2020—राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020 तारीख 24 जून, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था।

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 71/2020-State Tax

Shimla-2, the 16th October, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by sixth proviso to rule 46 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 14/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,—

- (i) in the first paragraph, for the words "\a financial year", the words and figures "any preceding financial year from 2017-18 onwards" shall be substituted;
- (ii) in the second paragraph, for the figures, letters and words "1st day of October", figures, letters and words "1st day of December" shall be substituted.

By order,

Sd/-(JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 14/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, was published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* notification number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (D-Section)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th September, 2020

No. GAD-D(G)6-1/2019.—In supersession to this Department's Notification No. GAD-D-7(G)1-18/92-Loose dated 01-12-2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the room tariff in respect of Circuit Houses/Rest Houses except Circuit House Willy's Park and Peterhof, Shimla, in public interest with immediate effect as under:—

Sl.	Category	Circuit House	Rest House
No.		Rate in ₹	Rates in ₹
		(per day)	(per day)
1.	Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Minister, Hon'ble Judges of High Court, MPs, MLAs, Chairman/Vice Chairman of Boards & Corpn (On official duty).	200/-	150/-
2.	Hon'ble CM, Hon'ble Minister, Hon'ble Judges of High Court, MPs, MLAs, Chairman, Vice Chairman of Boards & Corporation. (On Private visit).	400/-	300/-
3.	Spouse (Husband/ Wife/Son/ Daughter) & Parents of Sr. No. 1.	400/-	300/-
4.	H.P. Govt. Officers and Employees (On official duty)	200/-	150/-
5.	H.P. Govt. Officers and Employees (On Private visit)	400/-	300/-
6.	Spouse (Husband/Wife/Son/Daughter) and Parents of Sr. No. 4.	400/-	300/-
7.	Central Govt. Employees posted in Himachal Pradesh (On Official Duty).	200/-	150/-
8.	Central Govt. Employees, Other State employees/UT Employees (On Official Duty).	600/-	500/-
9.	Bank Employees/LIC Employees posted in Himachal Pradesh On Official Duty.	400/-	300/-
10.	Press Correspondents accredited to H.P. Govt. (On Official visit).	200/-	150/-
11.	Press Correspondents accredited to H.P. Govt. On Private visit.	400/-	300/-
12.	Ex. Chief Minister/Ex Ministers/ Ex.MPs/ Ex. MLAs/ Ex-Chairman/ Ex.Vice Chairman & Retired H.P. Govt. Employees.	400/-	300/-

13.	Editor of Himachal Edition of Hindustan Times, Times of India, The Tribune, Indian Express, Amar Ujala, Divya Himachal Dainik Bhaskar, Punjab Kesri, Dainik Jagran, Ajit Samachar (on official visit.).	200/-	150/-
14.	Mayor/Dy Mayor of MC, President/Vice President of Nagar Parishad/Notified Area Committee & Gram Panchayat /Block Development Committee/Member Zila Parishad in their respective Districts and State Headquarters (On Official visit).	200/-	150/-
15.	Other Himachalis (Private)	700/-	600/-
16.	Non Himachalis (Private)	1100/-	1000/-
17.	Wash/Change (Short Stay)	50% of existing rates	50% of existing rates

2. The room tariff for staying in the above Circuit Houses and Rest Houses for more than five days continuously will be as under:—

1.	Upto five days	Normal
2.	For more than five days upto 15 days	Double the normal charges of that category
3.	For more than fifteen days upto 30 days	Three times of the normal charges of that category.
4.	For more than 30 days	Four times of the normal charges of that category.

3. The room tariff for staying in Circuit Houses and Rest Houses for the Officers/Officials of State Government at the time of Transfer will be as under:—

1.	For one week	Normal
2.	For 30 days after one week	Double the normal charges of that category
3.	For more than 30 days	Three times of the normal charges of that category

- 4. All the Circuit houses (except Circuit House Willy's Park and Peterhof, Shimla) will remain under the control of Deputy Commissioners concerned and rest houses will be under the control of Department concerned.
- 5. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* their U.O. No. Fin.(C)B(15)-3/2020-55111511 dated 07-09-2020.
 - 6. This will come into operation with immediate effect.

By order,

Sd/-Secretary (GAD).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.)

In the matter of:—

- 1. Sh. Shyam Lal s/o Sh. Nikka Ram, r/o Village Kasarla, P.O. Ratti, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
- 2. Smt. Sapna Devi d/o Shri Chint Ram, r/o Village & P. O. Halyarter, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Shyam Lal s/o Sh. Nikka Ram, r/o Village Kasarla, P.O. Ratti, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Shyam Lal s/o Sh. Nikka Ram, r/o Village Kasarla, P.O. Ratti, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Sapna Devi d/o Shri Chint Ram, r/o Village & P. O. Halyarter, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Shyam Lal s/o Sh. Nikka Ram, r/o Village Kasarla, P.O. Ratti, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) have filed an application under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-03-2017 according to Hindu rites and customs at Village Kasarla, P.O. Ratti, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-10-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th September, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.)

In the matter of :—

- 1. Sh. Bhisham Bhardwaj s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Kathyala, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
- 2. Smt. Neha d/o Shri Miter Dev, r/o Village & P. O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Bhisham Bhardwaj s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Kathyala, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Bhisham Bhardwaj s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Kathyala, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Neha d/o Shri Miter Dev, r/o Village & P. O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Bhisham Bhardwaj s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Kathyala, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) have filed an application under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-11-2019 according to Hindu rites and customs at Village Kathyala, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-10-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23rd September, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.)

In the matter of :—

- 1. Sh. Komal Kumar s/o Sh. Mohan Lal, r/o Village Behal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
- 2. Smt. Manita Devi d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Jayahri Devi, P. O. Koserian, Tehsil Jhanduta, District Bilaspur, H.P. at present w/o Sh. Komal Kumar s/o Sh. Mohan Lal, r/o Village Behal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Komal Kumar s/o Sh. Mohan Lal, r/o Village Behal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Manita Devi d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Jayahri Devi, P. O. Koserian, Tehsil Jhanduta, District Bilaspur, H.P. at present w/o Sh. Komal Kumar s/o Sh. Mohan Lal, r/o Village Behal, P.O. Pairi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) have filed an application under

section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-08-2019 according to Hindu rites and customs at Bhoothnath Temple, Mandi, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-10-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28th September, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Balh, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.)

In the matter of:—

- 1. Bharpur Singh s/o Sh. Bhupinder Singh, H. No. 344/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
- 2. Iqbalpreet Kaur d/o Sh. Jaswinder Singh, r/o 1816/7, Chappar Wali Gali, Bazar Lohara, Amritsar Punjab. . . Applicants

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Bharpur Singh s/o Sh. Bhupinder Singh, H. No. 344/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Iqbalpreet Kaur d/o Sh. Jaswinder Singh, r/o 1816/7, Chappar Wali Gali, Bazar Lohara, Amritsar Punjab at present w/o Bharpur Singh s/o Sh. Bhupinder Singh, H. No. 344/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-09-2018 according to Hindu rites and customs at Bhainisahib Gurdwara Ludhiana Pb. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this

court on or before 01-11-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 01st day of October, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत भू-सुधार अधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।

श्री मदन सिंह पुत्र श्री हरि किशन, निवासी मुहाल जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

तेजवीर, संतोष, कुलदीप, बलबीर, रणबीर पुत्रान ओमप्रकाश, निवासी मुहाल जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

आवेदन-पत्र बाबत दुरुस्ती इन्द्राज मौजा मुहाल नावणी, तहसील नाहन में दुरुस्ती हेतु।

प्रार्थी श्री मदन सिंह पुत्र श्री हिर किशन, निवासी मुहाल जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 91, मिन / 137 नं0, खसरा 814 / 783 / 677, मिन रकबा तादादी 02—01 बीघा मौजा जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में तेजवीर, संतोष, कुलदीप, बलबीर, रणबीर पुत्रान ओमप्रकाश मालकान की भूमि पर गैर मौरूसी दर्ज है। उपरोक्त खाता में आवेदक के भाई श्री नरेन्द्र सिंह भी गैर मौरूसी दर्ज है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आवेदक अब उक्त भूमि का इन्तकाल धारा 104(3) में अपने नाम पर दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादीगण अथवा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति अथवा उपरोक्त मालकान को उक्त भूमि का इन्तकाल आवेदक के नाम धारा 104(3) में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 28—10—2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 30-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – भू–सुधार अधिकारी (तहसीलदार), नाहन,जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।

श्री सलीम अख्तर, साबिर खान पुत्रान श्री शेर मोहम्मद, निवासी मुहाल अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादीगण।

आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा मुहाल अमरपुर, तहसील नाहन में नाम दुरुस्ती हेतु

प्रार्थी श्री सलीम अख्तर, साबिर खान पुत्रान श्री शेर मोहम्मद, निवासी मुहाल अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 540 / 749 कित्ते—4, रकबा तादादी 160—68 वर्ग मीटर, मौजा अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उनका नाम सलीम खान, साकिर खान दर्ज चला आ रहा है। जबकि उनका सही नाम सलीम अख्तर, साबिर खान है। जिन्हें राजस्व रिकार्ड नाहन—2 में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति प्रार्थीगण को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 28—10—2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 30-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री शिव रतन पुत्र श्री जगत राम, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शिव रतन पुत्र श्री जगत राम, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 14—02—1999 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किए हैं आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 14—02—1999 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री शिव रतन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30—10—2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री शिव रतन की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती भगवती पत्नी श्री मनोज सिंह, निवासी गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिo प्रo)

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती भगवती पत्नी श्री मनोज सिंह, निवासी गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री भव्या की जन्म तिथि 21—08—2018 का इन्द्राज निर्धारित अविध के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किए हैं आवेदिका ने ग्राम पंचायत गोरखूवाला में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 21—08—2018 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भव्या की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 28–10–2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त भव्या

की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री कूड़ा राम, निवासी पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ं वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री कूड़ा राम, निवासी पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र इन्द्रजीत सिंह की मृत्यु तिथि 05—01—1985 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किए हैं आवेदक ने ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की मृत्यु तिथि 05—01—1985 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इन्द्रजीत सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 07—11—2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त इन्द्रजीत सिंह की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमीर (हि0 प्र0)

श्रीमती बेबी पत्नी श्री जगन नाथ, निवासी रामपुर धार, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिo प्रo)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बेबी पत्नी श्री जगन नाथ, निवासी रामपुर धार, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री आरूषी की जन्म तिथि 3—01—2018 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किए हैं आवेदिका ने ग्राम पंचायत कुन्जा में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 3—01—2018 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 आरूषी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 आरूषी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Pooja Sharma *alias* Rekha Rani Sharma w/o Sh. Rajeev Kumar Sharma, Village Darang, Ward No. 3, P.O. and Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P. (civil suit filed in the court of Senior Civil Judge, Dehra, Distt, Kangra, H.P. *vide* civil suit No. 367/2019, instituted on 5-10-2019 and decided on 19-9-2020) declare that my name in my minor son Lovish Sharma's School record and in Birth Certificate has wrongly been entered as Pooja Sharma whereas my correct name is Rekha Rani Sharma. I may very kindly be known as Pooja Sharma *alias* Rekha Rani Sharma. All concerned may note please.

Pooja Sharma alias Rekha Rani Sharma w/o Sh. Rajeev Kumar Sharma, Village Darang, Ward No. 3, P.O. and Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P.